RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 24 / 2025 **GCMS 2025/145**

अपीलांट–

1. श्रीमती भंवरकंवर पुत्री स्व. श्री किशोरसिंह पत्नी लालसिंह जाति राजपूत निवासी हरमलपुरा (पीहर) हाल निवासी मवड़ी(ससुराल) तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री परबतसिंह पुत्र किशोरसिंह
2. श्री उमसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह
3. श्री उकसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. श्री नरपतसिंह पहुत्र उमसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान हरमलपुरा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
5. श्रीमती स्वं. हकमकंवर पत्नी जयसिंह के वारिसान
   5.1 श्री शम्भुसिंह पुत्र जयसिंह
   5.2 शैलाकंवर पुत्री जयसिंह
   5.3 चन्दा कंवर पुत्री जयसिंह
   5.4 जयसिंह पुत्र कानसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
6. श्रीमती जंगालकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी श्री हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी हरमलपुरा (पीहर) हाल निवासी पीपलून(ससुराल) तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
7. श्रीमती मदनकंवर पुत्र किशोरसिंह पत्नी श्री भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी हरमलपुरा(पीहर) हाल निवासी धारणा (ससुराल) तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
8. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना।
9. श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री चैनसिंह जाति राजपूत निवासी हरमलपुरा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 30.05.2010 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

उपस्थिति :–

1. श्री टीकमचंद, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अपीलांटगण संख्या 2, 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री नरपतसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांटगण संख्या 1, 3 की ओर से अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंटगण संख्या 5 ता 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.03.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 445, 447, 448, 449, 458 तहसील सिवाना के नामान्तरकरण संख्या 177 पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 30.05.2010 के विरूद्ध दिनांक 18.08.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 445, 447, 448, 449, 458 की भूमि तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप के रूपसिंह को फौत उपरांत एवं न्यायालय तहसीलदार सिवाना के प्रकरण संख्या 04/2009 अन्तर्गत धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत निर्णय दिनांक 10.05.2010 की पालना के आधार पर हल्का पटवारी कुसीप द्वारा दिनांक 22.05.2010 को नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 30.05.2010 को नामान्तरणकरण संख्या 177 को स्वीकृत किया गया। इस हेतु अपीलांट द्वारा तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित आदेश 30.05.2010 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 1, 3 के अधिवक्ता दौराने बहस बावजुद सूचना रहे ।

5. रेस्पोडेंटगण संख्या 5 ता 09 को जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील नोटिस प्राप्त हुए, लिहाजा रेस्पोडेंटगण संख्या 5 ता 09 की तलबी पूर्ण। रेस्पोडेंटगण बावजूद सूचना दौराने बहस/सुनवाई अनुपस्थित रहे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 2, 4 के अधिवक्ता जवाब में कथन किया कि उक्त विवादित भूमि मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 445, 447, 448, 449, 458 की भूमि तहसील सिवाना में अवस्थित है। अपीलांट द्वारा अपने अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा गलत तरीके के वसीयतनामा के आधार पर तथा उक्त आलोच्य म्युटेशन भरा गया है, लेकिन अगर वसीयतनामा फर्जी व गलत है तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है, न कि जिला कलक्टर का क्षेत्राधिकार है। अलावा इसके गोदनामा से संबंधित बिन्दू आया गोद किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया, गोद की रस्म पूरी हुई या नही। गोद संबंधित किसी प्रकार की जांच करने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त नही है, क्योंकि उक्त बिन्दू सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बिन्दू है। साथ ही अपीलांट ने तहसलीदार सिवाना के निर्णय दिनांक 01.05.2010 को धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत आदेश के आधार पर भरे गये उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपील पेश की गई है तथा तहसीलदार ने वर्तमान अपील प्रकरण से संबंधित म्युटेशन पारित करने संबंधित जो आदेश दिनांक 10.05.2010 को पारित किया, वो विवादित तथ्यों से संबंधित था। इसलिये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया था। विधि के अनुसार ऐसे आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान संभागीय आयुक्त को प्राप्त है, क्योंकि म्युटेशन संख्या 177 जिस आधार पर पारित किया गया वो आधार आदेश दिनांक 10.05.2010 है। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 10.05.2010 की वैधता या विधिमूल्यता को देखना, जांचने, परखने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं होकर धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार धारा 75(1)(एफ) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अतर्गत संभागीय आयुक्त को है। अपीलाधीन म्यूटेशन/आदेश पारित हुए 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। उक्त 15 वर्षों की अवधि में अपीलांट ने अपील दायर क्यों नही की। इस संबंध में लैस मात्र कथन भी अपनी अपील में नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर एवं आधारहीन, सारहीन के तथ्यों की होने से व्यय सहित खारिज करने का आदेश फरमावे।

7. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 445, 447, 448, 449, 458 की भूमि तहसील सिवाना में अवस्थित है। ग्राम पादरडी कलां स्थित आराजी खसरा संख्या 445, 447, 448, 449, 458 के मूल खातेदार किशोरसिंह व चेनसिंह पि. जुंजारसिंह जाति राजपूत निवासी पादरडी कलां तहसील सिवाना जिला बालोतरा है। राजस्व ग्राम पादरडी कलां में से कालान्तर में नवसृजित राजस्व ग्राम हरमलपुरा के नाम से आया हुआ

जिला कलक्टर, बालोतरा

है। स्व. किशोरसिंह जी का स्वर्गवास फरवरी 1980 में हो चुका है, उस समय हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आ चुका था, जिसके कारण पुत्र/पुत्रीयों का समान हिस्सा बनता है। स्व. किशोरसिंह जी का स्वर्गवास हो जाने से रूपसिंह, परबतसिंह, उमसिंह, उकसिंह पि. किशोरसिंह के नाम म्यूटेशन संख्या 366 भरा गया, जो म्यूटेशन अपील संख्या 02/2025 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सिवाना में विचाराधीन है। किशोरसिंह जी ने अपनी मृत्यु के समय चार पुत्र रूपसिंह, परबतसिंह उमसिंह, उकसिंह एवं चार पुत्रीयां भंवरकंवर, हकमकंवर, जंगालकंवर मदनकंवर को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान् है। किशोरसिंह की पुत्री हकमकंवर सन 1986 में फौत हो चुकी है तथा अन्य पुत्री जगांल कंवर व मदन कंवर अपीलांट बने को तैयार नहीं है। किशोरसिंह के एक पुत्र रूपसिंह की अविवाहित व लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है एवं गलत तरीके से रूपसिंह की मृत्यु पर वसीयत के आधार पर भरे गये म्यूटेशन में नरपतसिंह को रूपसिंह का गोदपुत्र बताया। अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जांच के सम्बन्ध में रूपसिंह के वारिसान् को कोई नोटिस नहीं दिया एवं न ही पब्लिक नोटिस समाचार पत्र के माध्यम अथवा जनरल नोटिस आम चौहटे आदि पर प्रकाशित किया। मात्र उन्हीं गवाहों के बयान लिया गया, जो नरपतसिंह के हिमायती है। वसीयतनामा पर वसीयत की लिखावट किसके हाथ की है, लिखने वाले व्यक्ति का कोई नाम दर्शित नहीं किया एवं रूपसिंह का अंगुठा किस व्यक्ति ने करवाया, यह स्पष्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधि. की धारा 67 के अनुसारः– "67- **Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced.** If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting." फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो द्वारा वसीयतनामा के सम्बन्ध में निम्न ऑपिनीयन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई –OPINION:- Disputed thumb prints marked Q1, Q2 alleged to be of Roop Singh have been examined & compared as desired. Disputed thumb prints marked Q1, Q2 alleged to be of Roop singh are of whorl pattern, whereas his own admitted thumb prints marked S1, S2, S3, S4 are of arch pattern, hence dissimilar in pattern formation. इससे स्पष्ट है कि नरपतसिंह व उमसिंह द्वारा वसीयतनामा की कूटरचना कर गलत तरीके से तहसीलदार सिवाना के समक्ष आवेदन कर राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरा गया। अधिनस्थ न्यायालय में नरपतसिंह का नाम म्यूटेशन भरते समय उसे गलत तौर पर रूपसिंह का गोदपुत्र बताया, जबकि गोद कहीं पर भी प्रमाणित नहीं हैं। यदि गोदनामें के दस्तावेज का अभाव है तो उसे मात्र सिविल कोर्ट ही गोदपुत्र घोषित करने में सक्षम है। इस कारण म्यूटेशन बिना क्षेत्राधिकार के है। वसीयतनामा नोटेरी पचपदरा से तस्दीक करवाया

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलेक्टर
बालोतरा

गया, जबकि हरमलपुरा से पचपदरा की तुलना में सिवाना मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरमलपुरा में वसीयतनामा लिखा तो पचपदरा में नोटेरी करने का कोई औचित्य नहीं था। वसीयतनामा पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि वसीयत पचपदरा नोटेरी के क्षेत्राधिकारी में निष्पादित किया गया। वसीयतनामा में नरपतसिंह की आयु 18 वर्ष बताई गई है तथा उसके पिता का नाम उमसिंह लिखा एवं तथाकथित वसीयतनामा निष्पादित होने से पूर्व कहीं भी गोद देने का उल्लेख नहीं है, न हीं गोद देने की तारीख अंकित है। जिससे वसीयतनामा संदिग्ध है। उमसिंह ने रूपसिह की सम्पति हड़प करने के लिये राशनकार्ड में भी हैराफेरी करते हुये उकसिंह का नाम काटकर रूपसिंह लिखा गया, एवं नरपतसिंह को अपना पुत्र बताया। किसी भी दस्तावेज सिवाय म्यूटेशन जैर अपील में नरपतसिंह के पिता का नाम रूपसिंह दर्ज नहीं है। नरपतसिंह के शैक्षणिक दस्तावेज दिनांक 02.07.2010 के अनुसार नरपतसिंह के पिता का नाम उमसिंह दर्ज है। प्रार्थना पत्र उमसिंह द्वारा नरपतसिंह की तरफ म्यूटेशन भरने का पेश किया गया, जिसमे किसी प्रकार का गोद का उल्लेख नहीं है एवं प्रार्थना पत्र में भी उमसिंह का पुत्र नरपतसिंह को बताया। नरपतसिंह के शैक्षणिक दस्तावेज अनुसार वसीयत नामा दिनांक 18.10.2008 को 13 वर्ष थी, जबकि वसीयतनामा में नरपतसिंह की आयु 18 वर्ष दर्ज कर वसीयतनामा पर नरपतसिंह हस्ताक्षर करवाये। इस प्रकार गलत तरीके के तैयार किया गया वसीयतनामा एवं उसके आधार पर आलोच्य म्युटेशन खारीज योग्य है। अतः अपीलांट को उक्त आलोच्य म्युटेशन भरने पर किसी भी प्रकार नोटिस या सूचना नहीं देने के कारण, सुनवाई का अभाव होने के कारण, गलत वसीयतनामा के आधार पर उक्त म्युटेशन भरने के कारण एवं अपीलांट को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 से वंछित करने पर आपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 30.05.2010 को तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिवाना को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वीसयतनामा एवं किशोरसिंह के सम्पूर्ण वारिसान की जांच करते हुए नये सिरे से आदेश प्रदान करें।

8. रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 445, 447, 448, 449, 458 की भूमि तहसील सिवाना में अवस्थित है।अपीलांट द्वारा अपने अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा गलत तरीके के वसीयतनामा के के आधार पर तथा उक्त आलोच्य म्युटेशन भरा गया है, लेकिन अगर वसीयतनामा फर्जी व गलत है तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है न कि जिला कलक्टर क्षेत्राधिकार है। अलावा इसके गोदनामा से संबंधित बिन्दू की आया गोद किसी व्यक्ति के द्वारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

लिया गया, गोद की रस्म पूरी हुई या नही, गोद संबंधित किसी प्रकार की जांच करने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त नही है, क्योंकि उक्त विन्दू सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विन्दू है। साथ ही अपीलांट ने तहसलीदार सिवाना के निर्णय दिनांक 01.05.2010 को धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत आदेश के आधार पर भरे गये उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपील पेश की गई है तथा तहसीलदार ने वर्तमान अपील प्रकरण से संबंधित म्युटेशन पारित करने संबंधित जो आदेश दिनांक 10.05.2010 को पारित किया, वो विवादित तथ्यों से संबंधित था। इसलिये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया था। विधि के अनुसार ऐसे आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान संभागीय आयुक्त को प्राप्त है, क्योंकि म्युटेशन संख्या 177 जिस आधार पर पारित किया गया वो आधार आदेश दिनांक 10.05.2010 है। इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 10.05.2010 की वैधता या विधिमूल्यता को देखना, जांचने, परखने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं होकर धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार धारा 75(1)(एफ) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अतर्गत संभागीय आयुक्त को है। अपीलाधीन म्यूटेशन/ आदेश पारित हुए 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। उक्त 15 वर्षों की अवधि में अपीलांट ने अपील दायर क्यों नही की। इस संबंध में लैस मात्र कथन भी अपनी अपील में नहीं किया है। रेस्पोडेंट संख्या 4 रेस्पोडेंट संख्या 2 का जायन्दा पुत्र अवश्य है, किन्तु रेस्पोंडेंट संख्या 4 को 10 वर्ष से कम आयु में रूपसिंह के गोद दे दिया। रूपसिंह, उमसिंह के साथ ही निवासरत रहे है। रूपसिंह ने अपना वशवृक्ष बनाये रखने हेतु रिश्तेदारान भवानीसिंह, धुड़सिंह के रूबरू गोद लेकर गोद की रस्मे गुड बटाई साफा पूर्ण की। ताबाद रूपसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 18.10.2008 को नरपतसिंह के हक में वसीयतनामा निष्पादित किया, जिसके आधार पर भूमिधारक तहसीलदार सिवाना ने प्रकरण संख्या 04/2009 अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट का प्रकरण दर्ज कर पूर्ण जांच की। बाद जांच दिनांक 10.05.2010 को फौतगी म्युटेशन वसीयतनामा के आधार पर नरपतसिंह के नाम पारित किया। विधि के अन्तर्गत वसीयतनामा की लिखावट हाथ से लिखने की कोई मनाही नही है। राजस्थान राज्य में राजस्थान के निवासीयान द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में प्रोबेट प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यही अधिमत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। वसीयतनामा को फर्जी होना बताकर एक प्रकरण पुलिस थाना सिवाना में दर्ज करवाया, बाद जांच आरोप पत्र न्यायालय में रेस्पोडेंट उमसिंह, नरपतसिंह वगैरह के विरुद्ध प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण बाद विचारण श्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि. संख्या बालोतरा के द्वारा दिनांक 07.05.2025 को वसीयतनामा सही होना मानकर दोषमुक्त का निर्णय पारित किया। श्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय होने के बाद सहायक कलेक्टर सिवाना में दायर वाद संख्या 2010/0047 खारिज होने योग्य हो गया। तावाद वर्तमान अपील प्रकरण की कार्यवाहियां शुरू की गई। जबकि अपीलांट को वर्तमान अपील पेश करने हेतु पर्वतसिंह व उकसिंह ने ही प्रोक्षी रूप से तैयार किया है। जब अपीलांट के हिमायती रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 पर्वतसिंह, उकसिह के द्वारा सहायक कलेक्टर सिवाना में दायर वाद अन्तिम स्टेज पर आ गया और उसमें लिखित बहस प्रस्तुत हो गयी व निर्णय हेतु मुर्कर किया गया, तब पर्वतसिह व उकसिंह को यह आभास हो गया कि उनके द्वारा दायर वाद में निर्णय उनके विरूद्ध होगा, तब अपीलांट को प्रोक्षी रूप से मात्र रेस्पोडेंट संख्या 2 व 4 को तंग परेशान की बदनियती से वर्तमान अपील पेश की गयी है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेंट नरपतसिंह के पक्ष में लिखित वसीयत को अपीलांट या पर्वतसिंह या उकसिह ने किसी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वसीयतनामा को श्री न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर एवं आधारहीन, सारहीन के तथ्यों की होने से व्यय सहित खारिज करने का आदेश फरमावे।

9. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप, तहसील सिवाना के खेत खसरा नंबर 445, 447, 448, 449, 458 की भूमि तहसील सिवाना में अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि मौजा हरमलपुरा कलां, पटवार हल्का कुसीप के रूपसिंह को फौत उपरांत एवं न्यायालय तहसीलदार सिवाना के प्रकरण संख्या 04/2009 अन्तर्गत धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत निर्णय दिनांक 10.05.2010 की पालना के आधार पर हल्का पटवारी कुसीप द्वारा दिनांक 22.05.2010 को नामान्तरणकरण खोलना बताया गया व तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 30.05.2010 को नामान्तरणकरण संख्या 177 को स्वीकृत होना बताया है। अपीलांट की मुख्य आपति यह है कि रूपसिंह को फौत उपरांत एवं न्यायालय तहसीलदार सिवाना के प्रकरण संख्या 04/2009 अन्तर्गत धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत निर्णय दिनांक 10.05.2010 की पालना के आधार उक्त नामान्तरणकरण संख्या 177 को स्वीकृत किया गया है, फर्जी व गलत वसीयतनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में अगर फर्जी व गलत वसीयतनामा है, तो अपीलांट सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही कर सकता है, इसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित नामांतरण संख्या 177, तहसीलदार सिवाना के एक न्यायिक धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत निर्णय दिनांक 10.05.2010 की पालना में दर्ज हुआ है। चूंकि तहसीलदार का आदेश एक "न्यायिक

जिला कलक्टर
जालोरा

निर्णय" है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(f) के अनुसार, धारा 135 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील सीधे संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की जानी चाहिए। अतः क्षेत्राधिकार के अभाव (Lack of Jurisdiction) के कारण यह अपील इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अपीलार्थी को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील क्षेत्राधिकार के अभाव (Lack of Jurisdiction) के कारण इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं होने से तथा सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

जिला कलक्टर, बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बालोतरा